न्यायालय उपजिलाधिकारी/परगनाधिकारी हिण्डौन

प्रारूप सं० ५६५। [स्थायी रूप से रक्षणीय]

Notice Upload 21/02/2018

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बो० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

(देखें नियम १२० अभिलेख मैनुअल १९११)

दीवानी .... विभाग

SAR 38/14-15 .... वर्ष .... रजिस्टर सं० ....

कोरनेल केरकट्टा बनाम सुनीता देवी

CHTA .... वर्ष .... के अधीन

.... अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख ....

क्रम संख्या	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्प का मूल्य	कागज की श्रेणी	अनुक्रमणिका
१	२	३	४	५	६	७
						14.6.17
				31.7.19		25.8.17
				18.9.19		20.9.17
				8.4.20		25.10.17
				7/04/2021		06-12-17
				28.4.21		17.1.18
				28/7/2021		21.2.18
				27/10/2021		28.3.18
				29/12/2021		9.5.18
				01.2.2022		
				8/3/22		20.6.18
				05/4/22		1.8.18
				5/7/22		
				28/7/22		3.10.018
				02/9/22		
				21/10/2022		19.12.18
				2/12/22		30.1.019
				23/12/22		6.3.019
				10/1/23		12.6.19

आदेश--पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक) कोरनेल केरकेट्टा

आदेश पत्रक–ता0.................से ....तक

जिला–सिमडेगा, संख्या. SAR 38/2014-15

केस का प्रकारः– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम सुनीता देवी

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
19-9-2014	श्री कोरनेल केरकेट्टा पिता स्व0 इलियास केरकेट्टा साकिन ठेठईटांगर बसार टोली थाना ठेठईटांगर जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया हैं कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी सुनीता देवी पति ललन साव साकिन– ठेठईटांगर थाना ठेठईटांगर जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	11-7-15 22.5.17 14-6-017

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
ठेठईटांगर	222	3121	0.05 एकड़

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 4-10-2014 को उपस्थापित करें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 38/2014–15
दिनांक.....10.1.23.....

कोरनेल केरकेट्टा
बनाम
सुनीता देवी

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक कोरनेल केरकेट्टा, पिता–स्व0 इलियास केरकेट्टा, साकिन–ठेठईटांगर बसारटोली, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी सुनीता देवी, पति–ललन साव, साकिन–ठेठईटांगर, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–38/2014–15 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
ठेठईटांगर	222	3121	0.05 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, टी0टांगर को इस न्यायालय के पत्रांक–429/विधि, दिनांक 19.09.2014 एवं पत्रांक–217/विधि, दिनांक 23.05.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, टी0टांगर के पत्रांक–226(ii), दिनांक 31.05.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि एस0ए0आर0 वाद सं0–39/2014–15 कोरनेल केरकेट्टा, पिता–स्व0 इलियस केरकेट्टा, पिता–स्व0 इलियास केरकेट्टा, बनाम बजरंग साव, पिता–स्व0 मोहन साव, साकिन–ठेठईटांगर, जिला–सिमडेगा का जाँच प्रतिवेदन निम्नप्रकार है:–

1. घर मकान बनाकर कब्जा किया गया है।
2. मौजा–ठेठईटांगर के खाता नं0–222, प्लॉट नं0–3121 अंश रकबा–0.05 एकड़ वर्ष 1980–81 ई0 से विपक्षी का दखल कब्जा है।
3. पक्का मकान, एसवेस्टर्स अनुमानित लागत 250000/–(दो लाख पचास हजार रूपया हो सकता है।)
   (क) मकान 1980–81 ई0 में बना है तथा 0.05 एकड़ भूमि पर बना है।
   (ख) मकान का लागत 250000/–(दो लाख पचास हजार) हो सकता है।
   (ग) कुआं नहीं बना है।
4. खतियानी रैयत बुधु खड़िया वो ढुढु खड़िया पेशरान मुडरू खड़िया खतियानी रैयत का आवेदक पोता है।
5. पंजी–II रैयत जोसेफ खड़िया वो इलियास खड़िया पेशरान बुधु खड़िया वो ढुढु खड़िया वल्द गुडरन खड़िया पंजी–II के पेज नं0–29 VOLL- II में दर्ज है।
6. विवादित भूमि का चौहद्दी:–
   उ0 इसी प्लॉट का अंश
   द0–इस प्लॉट का अंश रास्ता
   पू0–मकान बजरंग साव
   प0–मकान उदय बड़ाईक

कृ0पृ0उ0

CamScanner

स्थानीय जाँच किया प्रस्तावित भूमि पर विपक्षी घर बनाकर रह रही है। भूमि की खरीदगी विपक्षी के पिता–मोहन साहू ने की थी एवं मोहन साहू अपनी पुत्री को घर बनाने के लिए दे दिया है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 17.01.2018 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–38/2014–15 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल देवाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 12:03:33 +05:30
Location: 192.168.188.80

CamScanner